

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

No. 106]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2009/पौष 26, 1930

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2009/PAUSA 26, 1930

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का,आ. 183(अ).—किन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरों के परामर्श से सितारा लेबल वाले फ्रास्ट फ्री घरेलू प्रशीतकों के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक को निर्दिष्ट करती है, अर्थात्—

- 1. (1) भारत में निर्मित हो रहा, वाणिज्यिक तौर पर क्रय अथवा विक्रय किए गए प्रत्येक फ्रास्ट फ्री प्रशीतक—
  - (i) भारतीय मानक 15750 : 2006 के खण्ड 5 में निर्दिष्ट अपेक्षांओं का पालन करेगा।
  - (ii) भारतीय मानक 15750 : 2006 के खण्ड 5.2.2 के अनुसार 'पुल डाऊन टैम्परेचर' परीक्षण की निष्पादन अपेक्षाओं का पालन करेगा।
  - (iii) मॉडल के सभी यूनिटों के लिए जैसे भी लागू हो पुल-डाऊन परीक्षण किए जाएंगे लेकिन ऊर्जा लेबलिंग के लिए केवल एक ही यूनिट की परीक्षण रिपोर्ट इस की पुष्टि के लिये पर्याप्त होगी।
  - (iv) निर्माता के पास या तो भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न हो या निर्माता आई एस.ओ. 9000 अथवा इस से भी ऊपर के लिए प्रमाणित हो।

- (2) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लगाए जाने वाले लेबल एक सितारे के अन्तराल में अधिकतम पांच सितारे प्रदर्शित करेंगे और इन घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर अपनी अपेक्षिक दक्षता के आधार पर एक सितारे से पांच सितारे तक निर्धारित होंगे।
- 2. सितारा रेटिंग अथवा सितारा स्तर योजना (1) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का सितारा लेवल (स्टार लेवल) पैरामीटर कानस्टेन्ट मल्टीप्लायर (कि.वा.घंटा / लीटर / वर्ष)  $K_{nl}$  और कानस्टेन्ट फिक्सड एलॉऊन्स (कि.वा.घंटा / वर्ष)  $C_{nl}$  के आधार पर निर्धारित होता है जो निर्माण वर्ष, अथवा व्यापारिक क्रय और विक्रय तथा तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए कुल समायोजित मंडारण आयतन ( $V_{adi_{nl}}$ ) के अनुसार सारणी 2.1, 2.2 अथवा 2.3 से प्राप्त किया जा सकता है और इस के अनुसार ही सितारा निर्धार बैन्ड तथा मॉडल का सितारा निर्धार निकाला जा सकता है।

सितारा रेटिंग बैन्ड (SRB)nf = Knf\*Vadi\_tot\_nf + Cnf

जहां

 Kq
 =
 स्थिरांक गुणक

 (कि0वाट घंटा / लीटर / वर्ष)

 Vadi\_tot\_m
 =
 घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए कुल समायोजित भंडारण आयतन (लीटर)

 Cm
 =
 अचल नियत छूट (कि0वाट घंटा / वर्ष)

क्र.सं.	निर्मित उत्पाद / व्यापारिक रूप से क्रय किया गया या बेचा गया	प्रयोग की जाने वाली सारणी
1.	इन विनियमों के लागू होने के एक वर्ष में	2.1
2.	सारणी 2.1 में अवधि पूर्ण होने के एक वर्ष बाद	2.2
3.	सारणी 2.2 में अवधि पूर्ण होने के दो वर्ष बाद	2.3

# सारणी 2.1 विनियमों के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के लिए सितारा स्तर वैध

स्टार रेटिंग बैन्ड	K <sub>nr</sub> स्थिरांक गुणक	C₁ रिथर नियत स्थाई छूट
1 सितारा •	0.8716	759
2 सितारा **	0.6973	607
3 सितारा ***	0.5578	486
4 सितारा ****	0.4463	389
<b>5 सितरा ****</b>	0.3570	311

सारणी 2.2 सारणी 2.1 के अधीन पूर्ण होने वाली अविध से दो वर्ष तक के लिए सितारा स्तर वैध

स्टार रेटिंग बैन्ड	K₁, स्थिरांक गुणक	Cn स्थिर स्थाई छूट
1 सितारा *	0.5578	486
2 सितारा **	0.4463	389
3 सितारा •••	0.3570	311
4 सितारा ****	0.2856	249
5 सितरा ****	0.2285	199

सारणी 2.3 : सारणी 2.2 के अन्तर्गत पूर्ण होने वाली अवधि से दो वर्ष तक सितारा स्तर वैध

स्टार रेटिंग बैन्ड	K <sub>n</sub> स्थिरांक गुणक	Cn स्थिर स्थाई छूट
1 सितारा •	0.4463	389
2 सितारा **	0.3570	311
3 सितारा ***	0.2856	<b>24</b> 9
4 सितारा ****	0.2285	199
5 सितारा *****	0.1828	159

- (2) उपर्युक्त सारणी विशेष मॉडल के लिए कई सितारा स्तर बैन्डों के लिए मान प्रदान करती है और मॉडल के लिए चुना गया सितारा प्रत्येक सितारा स्तर बैन्ड की निम्न और उच्च सीमा पर आधारित होगा।
- (3) सारणी 2.1 में निर्धारित मॉडल का तुलनात्मक ऊर्जा खपत कई सितारा रेटिंग बैन्डों से किया जाएगा, मॉडल के लिए चयनित सितारा रेटिंग उक्त तुलना पर आधारित होगा, तुलनात्मक ऊर्जा खपत की प्रत्येक सितारा रेटिंग बैन्ड से तुलना की जाएगी और बैन्ड के अनुरूप सितारा रेटिंग जिसका निम्न रेटिंग तुलनात्मक ऊर्जा खपत से कम और ऊपरी सीमा तुलनात्मक ऊर्जा खपत से अधिक या बराबर है, वही निम्न अनुसार मॉडल को प्रदान की जाएगी।

सितारा रेटिंग बैन्ड की निम्न सीमा < तुलनात्मक ऊर्जा खपत < सितारा रेटिंग बैन्ड की उपरि सीमा

- (4) भिन्न-भिन्न मॉडल एक ही लेबल का प्रयोग कर सकते हैं जिन पर तुलनात्मक ऊर्जा खपत दिखाई गई अधिकतम वार्षिक ऊर्जा खपत से कम नहीं होनी चाहिए (नजदीक के पूर्ण अंक तक पूर्णांकित करके) .
- (5) सारणी 2.3 के अन्तर्गत अवधि पूरी होने के बाद सितारा स्तर योजना हर दो वर्ष पश्चात पुनरीक्षित की जाएगी।
- (6) सितारा रेटिंग बैन्ड के लिए कोई छूट नहीं है और प्ररीक्षित किए सभी जत्पाद प्रत्येक सितारा रेटिंग के लिए न्यूनतम प्रभाव सीमा तक अवश्य पहुंचने चाहिए। सितारा रेटिंग का निर्धारण करते समय निर्माण के समय सिहेष्णुता और अन्य परिवर्तनशील मदों का ध्यान रखा जाएगा।
- 3. सितारा रेटिंग के लिए आकलन: प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत, तुलनात्मक ऊर्जा खपत तथा घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए कुल समायोजित भंडारण आयतन नीचे दिया गया है।
- (i) प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत (PAEC) : परीक्षित ऊर्जा खपत IS 15750 : 2006 के खण्ड 14.9 के अनुसार मापी जाएगी और प्रत्येक यूनिट की ऊर्जा खपत इस प्रकार आकंलित की जाएगी।

PAEC = Et\* (365/1000) kWh/Year)

Ei = प्रति 24 घंटो में परीक्षित ऊर्जा खपत, जो कि वाट घंटा में व्यक्त की जाती है और निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित की जाती है। (॥) तुलनात्मक ऊर्जा खपत (CEC) : किसी मॉडल के लिए तुलनात्मक ऊर्जा खपत तीन अथवा अधिक यूनिटों के लिए उनके औसत प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत के मान से कम नहीं होगा (पूर्णीक तक पूर्णीकित की जाएगी) जो कि लेबल पर लिखे जाने वाले ब्यौरे के लिए तथा तुलनात्मक ऊर्जा खपत के परीक्षण के लिए परीक्षित किया जाएगा और यह किलोवाट घंटा / वर्ष में पूर्णीक होगा।

## (iii) कुल समायोजित भंडारण आयतन (Vad\_iot\_n) -

- (a) ताजा खाने के कक्ष का लक्ष्य तापमान = + 3 डिग्री सेल्सियस
- (b) फ्रीज़र कक्ष का लक्ष्य तापमान = -15 डिग्री सेल्सियस
- (c) समायोजित आयतन गुणांक = (परीक्षण कक्ष तापमान फ्रीजर तापमान / परीक्षण कक्ष तापमान — ताजे खाने का तापमान)
  - = [(32-(-15)] / [(32-3)]
  - = 1.62
- (d) कुल समायोजित भंडारण आयतेन (Vad\_tol\_n)
  - = ताजा खाने के कक्ष का भंडारण आयतन + 1.62 x फ्रीज़र चैम्बर भंडारण आयतन
- 4. परीक्षण और सहयता : (1) लेबलिंग के लिए तुलनात्मक ऊर्जा खपत के अवधारण के लिए भारतीय मानक 15750 : 2006 के खण्ड 14 के अनुसार नामित मॉडल के तीन अलग—अलग यूनिट परीक्षित किये जाएंगे।
- (2) प्रत्येक यूनिट पर वैध E, के निर्धारण के लिए कई परीक्षण किए जाएंगे और इस निर्धारण का परिणाम परीक्षण रिपोर्ट में भारतीय मानक: 15750: 2006 के खण्ड 14.2.2 के अनुसार भरा जाएगा।
- (3) तीन अथवा अधिक पृथक यूनिटों का परीक्षण करने के बाद प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत के पृथक मानों का औसत निकाला जाता है और इसे औसत प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत से सन्दर्भित किया जाता है।
- (4) संख्या को पूर्णांकित किया जाएगा और पांच सार्थक अंकों तक रिकार्ड किया जाएगा और प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत (PAEC), औसत प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत (PAEC₃√), तुलनात्मक ऊर्जा खपत (CEC) तथा सितारा निर्धार बैन्ड निकटतम पूर्णांक (< 0.5 निकटतम पूर्ण अंक और ≥ 0.5 उच्चतम पूर्ण अंक) तक पूर्णांकित किया जाएगा।
  - (5) लेबल वैधता निर्धारण के उद्देश्य के लिए

《精神通過學》 中心有法的特殊語言的方式語言語彙者

(i) तुलनात्मक ऊर्जा खपत का मान तब वैध माना जाएगा जब लेबलिंग मॉडल के एक प्रतिचयित सेट का आरम्भिक छानबीन के लिए परीक्षित किया जाएगा और इसकी प्रक्षिप्त ऊर्जा खपत निम्न प्रकार से होगी—

#### PAEC ≤ 1.1 गुणा CEC

(ii) अगर (i) सत्य न निकले, तो तुलनात्मक ऊर्जा खपत को तब वैध माना जाएगा, जब अतिरिक्त तीन यूनिटों का परीक्षण करने पर इन यूनिटों का प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत निम्न होगा—

#### $PAEC_{(av)} \le 1.1 \text{ JUI GEC}$

- (iii) एकल परीक्षित मॉडल की प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत अपने अनुरूप वैन्ड के सितारा निर्धारण की उपरि सीमा से कम होगी अश्रवा अगर दो अतिरिक्त यूनिटों को परीक्षित किया जाए तो तीन में से दो की प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा (PAEC<sub>av</sub>) तथा औसत प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत (PAEC<sub>av</sub>) अनुरूप सितारा रेटिंग वैन्ड की उपरि सीमा से कम होनी चाहिए।
- (6) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक की ऊर्जा खपत और निष्पादन का निर्धारण करने के लिए परीक्षण की विधि भारतीय मानक: 15750: 2006 के खण्ड 14 के अनुसार होगी और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के आयतन के निर्धारण के लिए (भंडारण और सकल) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक: 15750: 2006 के खण्ड परीक्षण विधि होगी।
- (7) आयतन के लिए सिहण्युता (भंडारण और सकल) सीमा भारतीय मानक : 15750 : 2006 के खण्ड 5.1 के अनुसार होगी और पुल डाऊन तापमान भारतीय मानक :15750:2006 के खण्ड 5.2.2 के अनुसार होगा।
- 5. सत्यापन के लिए नमूना लेना : सत्यापन के लिए फुटकर आऊटलेट से यदाकदा रूप से एक नमूना भारतीय मानक : 15750 : 2006 के आधार पर परीक्षण के लिए लिया जाएगा।
- 6. परीक्षण रिपोर्ट : प्रत्येक यूनिट के परीक्षणों के परिणाम अनुलग्नक क में दिए जाएगें।

#### उपाबंध - क

# परीक्षणों के परिणामों को रिपोर्ट करने के लिए फार्म

- 1. घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीलक का ब्यौरा
  - (i) ब्रान्ड
  - (ii) प्रकार
  - (ііі) मॉडल का नाम
  - (iv) निर्धारित वोल्टता
  - (v) निर्धारित संकल आयतन
  - (vi) निर्धारित भंडारण आयतन
  - (vii) निर्धारित विद्युत खपत
- 2. परीक्षण सारांश
  - (i) जैसा लागू हो, प्रत्येक परीक्षण के लिए इस पृष्ठ की अलग से प्रति पूर्ण करें।
  - (ii) परीक्षण तिथि
  - (iii) परीक्षण अधिकारी
  - (iv) परीक्षण प्रकार
  - (v) नामित परीक्षण रिपोर्ट
  - (vi) परीक्षण मानक
  - (vii) ऊर्जा खपत परीक्षण रिपोर्ट (प्रत्येक परीक्षित यूनिट के लिए भरी जाए)

परिवेशीय परीक्षण स्थितियाः प्रेक्षण और परिणामः

पैरामीटर	विनिर्देश	प्रेक्षण	
		<b>ऊष</b> ग	<b>उंडा</b>
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F1)			
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F2)			
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F3)			
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F4)			
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F5)	-		
ताजे खाने के कक्ष का औसत तापमान			
ताजे खाने के <b>कक्ष का</b> तापमान (२ २/३५)			
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (२ 1/3h)		·	
ताजे खाने के <b>कक्ष का</b> तापमान (R 25 mm)		-	
तहखाना कक्ष का तापमान			
फ़र्ज़ा मीटर पाठ्यांक (wн)			
ऊर्जा खपत दर प्रतिदिन (wम/दिन)		<u> </u>	·
ऊर्जा खपत – लक्ष्य तापमान पर (ताजे खाने का कक्ष) (wh/दिन)	- <del> </del>		
ऊर्जा खपत -(फ्रीज़र कक्ष) लक्ष्य तापमान पर (wh/दिन)			
ऊर्जा खपत / दिन लक्ष्य तापमान पर वाटघंटा / दिन			
वार्षिक ऊर्जा खपत कि. वाटघंटा / वर्ष			

(viii) पुल डाऊन तापमान परीक्षण रिपोर्ट (प्रत्येक परीक्षण की गई यूनिट के लिए भरी जाए)

परिवेशीय परीक्षण रिथतिः संप्रेक्षण और परिणामः

सप्रक्षण आर पारणामः <b>पैरामीटर</b>	विनिर्देश	6 घंटे के बाद प्रेक्षण °c (डिग्री सेल्सियस)
लघु अवधि फ्रोजन खाने के कक्ष का तापमान (F 1)		
लघु अवधि फ्रोज़न खाने के कक्ष का तापमान (F2)		
लघु अवधि फ्रोजन खाने के कक्ष का तापमान (F3)		·
लघु अवधि फ्रोजन खाने के कक्ष का तापमान (F4)	-	
लघु अवधि फ्रोज़न खाने के कक्ष का तापमान (F 5)		
लघु अवधि ताजे खाने के कक्ष का औसत तापमान		
द्रुतशीतित कक्ष का तापमान		
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (R 2/3h)		
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (R 1/3h)		
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (R – 25 mm)		
ताजे खाने के कक्ष का औसत तापमान		
तहखाने के (सेलर) कक्ष का तापमान		
तापमान नियंत्रण सेटिंग (ताजे खाने का कक्ष)	. •	

(ix) सकल और भंडारण आयतन परीक्षण रिपोर्ट (प्रत्येक परीक्षित यूनिट के लिए भरी जानी चाहिए)

	सकल आयतन (लिटर में)	
फ्रीज़र कक्ष	ताजे खाने का कक्ष	कुल

भंडारण आयतन (लिटर में)				
फ्रीज़र कक्ष	ताजे खाने का कक्ष	कुल		

(x) कुल समायोजित भंडारण आयतन

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी] देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2009

- s.o. 183(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the energy consumption standards for star labeled household frost free refrigerators following, namely:-
- 1. (1) Every household frost free refrigerator being manufactured, commercially purchased or sold in India shall-
  - (i) meet the compliance requirements as specified in clause 5 of IS 15750:2006
  - (ii) meet the performance requirements of the pull down temperature test as per clause 5.2.2. of IS 15750:2006.
  - (iii) for all units within a model, be required to meet the pull-down test and as applicable, a test report for a single unit required to confirm this for the purposes of energy labelling;
  - (iv) either carry BIS certification mark or the manufacturer should be certified against ISO 9000 or above.
- (2) The label to be affixed to household frost free refrigerator shall display a maximum of five stars with an interval of one star and these household frost free refrigerators shall be rated from star one to star five based on their relative efficiencies.

2. Star rating or star level plan.- (1)The star level of the household frest free refrigerator shall be determined on the basis of star level parameters constant multiplier (kWh/litre/year) - knf and constant fixed allowance (kWh/Year)- cnf which shall be obtained from table 2.1 or 2.2 or 2.3 depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale and the comparative energy consumption (CEC) and total adjusted storage volume for household frost free refrigerators (Vadi\_tot\_nf) shall be used to determine the star rating band and star rating of the model.

# Star Rating Band (SRB) of # Knf \* Vad tot of + Cnf

Where,

K<sub>nf</sub> = Constant multiplier (kWh/Litre/Year)

V<sub>adi\_tot\_nf</sub> = Total adjusted storage volume for household frost

free refrigerator (Litre)

C<sub>nf</sub> = Constant fixed allowance (kWh/Year)

SI.No.	Product manufacturedi commercially purchased or sold	Table to be used
1	One year from the date of coming into force of these regulations	2.1
2	One year after the period covered under Table 2.1 is completed	2.2
3	Two years after the period covered under Table 2.2. is completed.	2.3

TABLE 2.1: Table 2.1: Star level valid for one year from the date of coming into force of regulations

Star rating band	k <sub>nf</sub> Constant multiplier	c <sub>nf</sub> Constant fixed allowance
1 Star *	0.8716	759
2 Star * *	0.6973	607
3 Star * * *	0.5578	486
4 Star * * * *	0.4463	389
5 Star * * * * *	0.3570	311

Table 2.2: Star level valid for two year from the date the period covered under Table 2.1. is completed.

Star rating band	k <sub>nf</sub>	C <sub>nf</sub>
SML Innig pana	Constant multiplier	Constant fixed allowance
1 Star *	0.5578	486
2 Star * *	0.4463	389
3 Star * * *	0.3570	311

[भाग]।—खण्डं 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधा	रण	31
			<u>_</u>
4 Star * * * *	0.2856	249	
E Stat * * * * *	0.2295	400	

Table 2.3: Star level valid for two years from the date the period covered under Table 2.2. is completed.

	k <sub>nf</sub>	C <sub>nf</sub>
Star rating band	Constant multiplier	Constant fixed allowance
1 Star *	0.4463	389
2 Star * *	0.3570	311
3 Star * * *	0.2856	249
4 Star * * * *	0.2285	199
5 Star * * * * *	0.1828	159

(2)The above tables provide for the value of various star level bands for particular model and the star level chosen for the model will be based on the lower and the upper limits of each star level band.

(3)The Comparative energy consumption (CEC) of the model as determined from Table 2.1 will be compared with the vanous star rating bands, the star rating chosen for the model will be based on the above comparison, CEC will be compared to the lower and the upper limits of each star rating band, the star rating corresponding to the band whose lower rating is less than CEC and upper limit is greater than or equal to CEC shall be assigned to the model as under:-

Lower Limit of star rating band < CEC ≤ Upper Limit of star rating band

- (4) A model variant may use a common label with comparative energy consumption (CEC) not less than the highest projected annual energy consumption (PAEC $_{\rm av}$ ) (rounded to the nearest whole number) of those variants.
- (5)The star level plan shall be reviewed every two years after the period covered under table 2.3 is over.
- (6)There is no tolerance for the star rating bands and all tested products must meet the minimum threshold for each star rating band and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted for when determining the star rating.

- 3. Calculations for star rating.-The equations and procedures for calculating values of projected annual energy consumption (PAEC), comparative energy consumption (CEC) and total adjusted storage volume for household frost free refrigerator are giving below:
- (i.) Projected annual energy consumption (PAEC). The tested energy consumption ( $E_t$ ) shall be measured as per clause 14.9 of IS 15750:2006 and the projected annual energy consumption (PAEC) of each unit tested shall be calculated as follows:-

$$PAEC = E_1 * (365/1000)$$
 (kWh/Year)

- $E_t$  = tested energy consumption expressed in watt hour per 24 hours, rounded to the nearest whole number.
- (ii.) Comparative energy consumption (CEC).-The comparative energy consumption (CEC) for a model shall not be less than the average (rounded to a whole integer) projected annual energy consumption (PAEC) value (i.e. annual projected annual energy consumption (PAEC<sub>av</sub>)) for the three (or more) units which are tested to determine the label particulars and the comparative energy consumption (CEC) shall be an integer in units of kWh/Year.
  - (iii.) Total adjusted storage volume (Vadj\_tot\_nf)
    - a) fresh food chamber target temperature shall be= +3 degree celsius
    - b) freezer chamber target temperature shall be = 15 degree celsius
    - c) adjusted volume factor = (test room temperature freezer temperature) / (test room temperature fresh food temperature)

- d) total adjusted storage volume (Vadj\_tot\_nf)
  - = fresh food chamber storage volume + 1.62 multiplied by freezer chamber storage volume.
- 4. Testing and tolerance.-(1)For the purpose of determining the comparative energy consumption (CEC) of a model for labelling, three separate units of the nominated model shall be tested for energy consumption in accordance with clause 14 of IS 15750:2006.
- (2) Each unit shall be tested with test runs to enable a valid E<sub>1</sub> to be determined for that unit and this determination shall be documented in a test report containing the test result for all test runs used to derive E<sub>1</sub> as per clause 14.2.2 of IS 15750:2006.
- (3) After testing three or more separate units, the separate values of projected annual energy consumption (PAEC) shall be averaged and referred to as average projected annual energy consumption (PAEC<sub>ev</sub>)

(4)The number shall be rounded of and recorded to five significant figures and the values of projected annual energy consumption (PAEC), average projected annual energy consumption (PAEC<sub>av</sub>), comparative energy consumption (CEC), and star rating band shall be rounded of (< 0.5 to lower whole number and  $\geq$  0.5 to higher whole number) to the nearest whole number.

(5) For the purpose of determining label validity.-

(i) the comparative energy consumption (CEC) value shall be accepted as valid, when a single sample of a labeled model is tested for an initial screening test and its projected annual energy consumption (PAEC) is as under:-

#### PAEC ≤ 1.1 multiplied by CEC

(ii) in case (i) is not established, the comparative energy consumption (CEC) shall be accepted as valid if three additional units are tested and the average projected annual energy consumption (PAEC) of these additional units is as under:-

# PAEC $_{(av)} \leq 1.1$ multiplied by CEC

- (iii) the projected annual energy consumption (PAEC) shall be less than the upper limit of the corresponding star rating band of the star rating of a single model tested or if two additional units are tested then projected annual energy consumption (PAEC) of two out of three and average projected annual energy consumption (PAEC<sub>av</sub>) should be less than then upper limit of the corresponding star rating band.
- (6)For determining the energy consumption and performance for household frost free refrigerator, the method of testing would be as per clause 14 of IS 15750: 2006 and for determining the volume(storage and gross) for household frost free refrigerator, the method of testing would be as per clause 6 of IS 15750:2006, with all amendments.
- (7)The tolerance limit for the volume (storage and gross) shall be as per clause 5.1 of IS 15750:2006, and pull-down temperature shall be as per clause 5.2.2 of IS 15750:2006.
- 5. Sampling for verification.-For the purpose of verification, one sample will be at marked random from a retail outlet for testing as per IS 15750:2006.
- 6. Test report.- The results of tests of each unit shall be reported in Annexure A.

#### Annexure A

# Form for reporting the results of tests

1.	Ε	)etails	of	household	frost	free	refrigerator	
	715	PA.					PIDIORITION	

- (i) Brand:
- (ii) Type:
- (iii) Model name:
- (iv) Rated voltage:
- (v) Rated Gross Volume:
- (vi) Rated Storage Volume:
- (vii) Rated Electricity Consumption:

#### Test summary: 2.

- (i) Complete separate copy of this page for each type test, as applicable
- (ii) Date of test:
- (iii) Test officer:
- (iv) Test type:
- (v) Nominal test condition:
- (vi) Test Standard:
- (vii) Energy Consumption Test Report(to be submitted for each unit tested):

Ambient test conditions:

Observations and Results:

Parameters	Specification	Observation		
Tomorous	-Positionio	Warm	Cold	
Temperature of Freezer Compartment(F1)			Oolu	
Temperature of Freezer Compartment(F2)				
Temperature of Freezer Compartment(F3)				
Temperature of Freezer Compartment(F4)			-	
Temperature of Freezer Compartment(F5)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Average Temperature of Fresh Food Compartment				
Temperature of Fresh Food Compartment (R 2/3h)				
Temperature of Fresh				

· <del></del>			
Food Compartment(R 1/3h)		·	
Temperature of Fresh Food Compartment(R- 25mm)			•
Temperature of Cellar Compartment		١ .	•
Energy Meter Reading(WH)			
Time elapsed(minutes)			
Energy Consumption rate per day (WH/Day)	,		
Energy Consumption(Fresh Food Compartment) at Target Temperature(WH/Day)		·	
Energy Consumption(Freezer Compartment) at Target Temperature(WH/Day)			
Energy Consumption/Day at Target Temperature(WH/Day)			
Yearly Energy Consumption(kWH/year)			

(viii.) The Pull down temperature test report (to be submitted for each unit tested):

Ambient test condition:

Observations and Results:

Parameters	Specification	Observation after 6 hours in 'C (Degree Celsius)
Temperature of Short Term Frozen Food Compartment(F1)		
Temperature of Short Term Frozen Food Compartment(F2)		
Temperature of Short Term Frozen Food		

Compartment(F3)			<u> </u>	
Temperature of Short				,
Term Frozen Food				
Compartment(F4)			·	
Temperature of Short				
Term Frozen Food				
Compartment(F5)				
Average Temperature of				
Short Term Fresh Food				e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Compartment.				
Temperature of Chill				<u> </u>
Compartment		٠.		
Temperature of Fresh				
Food Compartment(R		,	•	
2/3h)				
Temperature of Fresh				
Food Compartment(R		•		
1/3h)			<u>-</u>	
Temperature of Fresh	,			
Food Compartment(R-		}		
25mm)	<u> </u>		<del></del>	
Average Temperature of		·		
Fresh Food Compartment	·	<u> </u>		
Temperature of Cellar		?		
Compartment	<del></del>			
Temperature Control				
Setting (Fresh Food				ļ
Compartment)				
4: 3				

(ix) The gross and storage volume test report(to be submitted for each unit tested):

Gross volume (in litres)			
Freezer compartment	Fresh food compartment	Total	

Storage volume (in litres)				
Freezer compartment Fresh food compartment Total				

### (x) Total Adjusted Storage Volume:

. [F. No. 10/6/2004-EC]
DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

# रत की राजपश The Gazette of India

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PART II -- Section 3 -- Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] No. 18]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/पीष 16, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

#### विद्युत मंत्रालय

#### अधिसुचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

ं का.आ. 24(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं0का.आ. 181 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :--

#### उक्त अधिसूचना में,---

- "घरेलू प्रयोग के लिए 9000 किलो कैलारी/घंटा निर्धारित क्षमता वाले" शब्द जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर "जो गवाक्ष वातानुकूलक और 10465 वाट (9000 किलो कैलोरी/घंटा) के निर्धारित शीतलन क्षमता तक 1 : 1 ऊंची दीवार स्पलिट वातानुकूलक प्रकार के हैं" शब्द रखे जाएंगे
- (ii) पैरा 2, के उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सितारा रेटिंग या सितारा स्तर योजना-(1) कक्ष वातानुकूलक का सितारा स्तर का अवधारण ऊर्जा दक्षता अनुपात द्वारा किया जाएगा जो इसके विनिर्माण वर्ष या आयात या विक्रय के आधार पर निम्नलिखित सारणी 2.1 अथवा 2.2 अथवा 2.3 से अभिप्राप्त किया जा सकेगा अर्थात :--

क्र.सं०	उत्पाद विनिर्माण या आयात या विक्रय की अवधि	उपयोग की जाने वाली सारणी
1.	इन आदेशों के प्रकाशित होने की तारीख से तक	2.1
2.	01.01.2012 से 31.12.2013 तक	2.2
3.	01.01.2014 से 31.12.2015 तक	2.3

सारणी 2.1 : इन आदेशों के प्रकाशन की तारीख से 31.12.2011 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग		ता अनुपात (वाट/वाट)	
1 सितारा*	2.30	2.49	
2 सिताश * *	2.50	2.69	
3 सितारा * * *	2.70	2.89	
4 सितारा * * * *	2.90	3.09	
5 सितारा * * * * *	3.10		

सारणी 2.2 : में 01.01.2012 से 31.12.2013 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग बैन्ड	ऊर्जा दक्षता अ	ानुपात (वाट/वाट)
1 सितारा*	2.50	2.49
2 सितारा * *	2.70	2.69
3 सितारा * * *	2.90	2.89
4 सितारा * * * *	3.10	3.09
5 सितारा * * * * *	3.30	

सारणी 2.2 : 01.01.2014 से 31.12.2015 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग बैन्ड	ऊर्जा दक्षता	अनुपात (वाट/वाट)
1 सितारा*	2.70	2.89
2 सितारा * *	2.90	3.09
3 सितारा * * *	3.10	3.29
4 सितारा * * * *	3.30	3.49
5 सिसारा * * * *	3.50"	

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी] देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सन्विव

पाद रिष्णण :-- मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ. 181 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 3

# MINISTRY OF POWER

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

S.O. 24(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Power number S.O 181(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009, namely:-

- (i) for the words "for household use upto a rated cooling capacity of 9000 kcal/hour", wherever they occur, the words "which are of window air conditioner and 1:1 high wall split air conditioner type up to a rated cooling capacity of 10,465 Watts ( 9000 kcal/hour)" shall be substituted;
- (ii) for sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"Star rating or star level plan.-(1) The star level of the room air conditioner shall be determined by Energy Efficiency Ratio which shall be obtained from the following Table 2.1 or 2.2 or 2.3, depending on the year of manufacturing or import or sale, namely:-

SL. No.	Period of Product Manufacturing or Import or Sale	Table to be used
1	From the date of publication of these orders till 31.12.2011.	2.1
2	From 01.01.2012 to 31.12.2013.	
3	From 01.01.2014 to 31.12.2015.	2.2
	7.710 01.12.2015.	2.3

Table 2.1: Star level valid from the date of publication of these orders till 31.12.2011.

Star level	Energy Efficiency	Ratio (Watt/Wat	
	Minimum	Maximum	
1 Star *	2.30	·	
2 Star **	2.50	2.49	
3 Star ***		2.69	
4 Star ****	2.70	2.89	
	2.90	3.09	
5 Star ****	3.10	3.00	

Table 2.2: Star level valid from 01.01.2012 to 31.12.2013

	Energy Efficiency	Ratio (Watt/Wa	
Star level	Minimum	Maximum	
1 Star *	2.50	2.69	
2 Star **	2.70	2.89	
3 Star ***	2.90	3.09	
4 Star ****	3.10	<del> </del>	
5 Star *****	3.30	3.29	

Table 2.3:Star level valid from 01.01.2014 to 31.12.2015.

	<ul> <li>Energy Efficiency</li> </ul>	Ratio (Watt/Wa	
Star level	Minimum	Maximum	
1 Star *	2.70	2.89	
2 Star **	2.90	3.09	
3 Star ***	3.10	3.29	
4 Star ****	3.30	3.49	
5 Star *****	3.50*	3.49	

[F. No. 10/6/2004-EC] DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

Foot Note:— The principal notification was published vide number S.O. 181(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

का.आ. 25(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52), की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं0का.आ 183(अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :--

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात :--

"सितारा रेटिंग बैंड अथवा सितारा स्तर योजना-(1) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का सितारा लेबल (स्टार लेबल) पैरामीटर कानस्टेन्ट मल्टीप्लायर (कि.वा.घंटा/लीटर/वर्ष)-  $k_{\rm nf}$  और कान्स्टेन्ट फिक्सड एलॉऊन्स (कि.वा.घंटा/वर्ष)  $C_{\rm nf}$  के आधार पर निर्धारित होता है जो विनिर्माण वर्ष, या आयात या विक्रय तथा तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) के आधार पर निम्नलिखित सारणी 2.1 या 2.2 या 2.3 से अभिप्राप्त किया जाएगा और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए कुल समायोजित

भंडारण आयतन $(V_{adj\_tot\_nt})$  का उपयोग सितारा रेटिंग बैन्ड और सितारा मॉडल का रेटिंग के अवधारण के लिए किया जाएगा अर्थात् :-

# तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) = $k_{nf}*V_{adj\_tot\_nf}+C_{nf}$

 $K_{nf}$  = कांस्टेंट मल्टीप्लायर (कि.वा.घंटा/लीटर/वर्ष)  $V_{adj\_tot\_nf}$  = घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए कुल समायोजित भंडारण आयतन (लीटर)  $C_{nf}$  = अचल नियत छूट (कि.वा.घंटा/वर्ष)

क्र.सं०	विनिर्माण या आयात या विक्रय उत्पाद की अवधि	उपयोग की जाने वाली सारणी
1.	इन आदेशों के प्रकाशन की तारीख स`31.12.2011 तक	2.1
2.	01.01.2012 社 31.12.2013	2.2
3.	01.01.2014 से 31.12.2015	2.3

## सारणी 2.1 इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 31.12.2011 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग बैन्ड	न्यूनतम सीइसी	अधिकतम सीइसी
िसितारा	≥ 0.8716* V <sub>adj_tot_nf</sub> +759	<0.6973 * V <sub>adi_tot_nf</sub> + 607
! सितारा * *	≥ 0.6973 * Vad_tot_m + 607	< 0.5578 * Vad_tot_nf + 486
सितारा * * *	≥ 0.5578 * V <sub>adj_tot_nf</sub> + 486	< 0.4463 * V <sub>adi_tot_nf</sub> + 389
सितारा * * * *	≥0.4463 * V <sub>ad_tot_nf</sub> + 389	< 0.3570 * Vad_tot_nf + 311
सितारा * * * * *	≥ 0.3570 * V <sub>ad_tot_nf</sub> + 311	

# सारणी 2.2 01.01.2012 से 31.12.2013 तक सितार स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग बैन्ड	न्यूनतम सीइसी	अधिकतम सीइसी
1 सितारा*	≥ 0.6973 * Ved_tot_nf + 607	< 0.5578 * Vadj_tot_nf +486
2 सितारा * *	≥ 0.5578 * V <sub>ad_tot_nf</sub> +486	< 0.4463 * VadLtot_nf +389
3 सितारा * * *	≥0,4463 * VadLtot_nf +389	< 0.3570 * Vadi_tol_nf +311
4 सितारा * * * *	≥ 0.3570 * Vadi_tot_nr +311	< 0.2856 * Vadi_tot_nf +249
5 सितारा * * * * *	≥ 0.2856 * Vad_tot_of +249	

50 GI/10-2

सारणी 2.3 01.01.2014 से 31.12.2015 तक सितार स्तर का विधिमान्य होना

	01.01.2014 से 31.12.2015 पर्यं । न्यूनतम सीइसी	आधकतम साइसा
स्टार रेटिंग बैन्ड		< 0.3570 * Vadj_tot_nt +311
सितारा*	≥0.4463 * V <sub>adj_tot_inf</sub> +389	
2 सितारा * <b>*</b>	≥ 0.3570 * Vadi_tot_nf +311	< 0.2856 * Vadj_tot_nf +249
3 सितारा * * *	≥ 0.2856 * Vadi_tot_nf +249	< 0.2285 * Vadi_tot_nf +199
4 सितारा * * * *	≥ 0.2285 * V <sub>ad_tot_nf</sub> +199	< 0.1828 * Vad_tot_nf +159
<b>5</b> सितारा * * * * *	≥ 0.1828 * Vadi_tot_nr +159"	

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी] देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :-- मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ.183(अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

s.O.25(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Power number S.O 183(E), dated the 12th January, 2009, namely:-

In the said notification, for sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following subparagraph shall be substituted, namely.-

"Star rating band or star level plan.- (1) The star level of the household frost free refrigerator shall be determined on the basis of star level parameters constant multiplier (kWh/Litre/Year) - knf and constant fixed allowance (kWh/Year) - cnf which shall be obtained from the following Table 2.1 or 2.2 or 2.3, depending on the year of manufacturing or import or sale and the comparative energy consumption (CEC) and total adjusted storage volume for nousehold frost free refrigerators (Vadj\_tot\_nf) shall be used to determine the star rating band and star rating of the model, namely:-

Comparative Energy Consumption (CEC) = Knf\* Vadj\_tot\_nf + Cnf

Where,

Knf

= Constant Multiplier (kWh/Litre/Year)

Vadi tot\_nf

= Total adjusted storage volume for household frost free refrigerator (Litre)

- Constant fixed allowance (kWh/Year)

SI. No.	Period of Product Manufacturing or Import or Sale	Table to be used
1 、	From the date of publication of these orders till 31.12.2011.	2.1
2	From 01.01.2012 to 31.12.2013.	2.2
3	From 01.01.2014 to 31.12.2015.	2.3

Table 2.1: Star level valid from the date of publication of these regulations till 31 12 2011

Star rating band	Minimum CEC	Maximum CEC
1 Star *	≥ 0.8716* Vadj_tot_nf +759	<0.6973 * V <sub>ad_tot_nf</sub> + 607
2 Star * *	≥ 0.6973 * V <sub>adl_tot_nf</sub> + 607	< 0.5578 * V <sub>adi_tot_nf</sub> + 486
3 Star * * *	≥ 0.5578 * V <sub>adi_tot_nf</sub> + 486	< 0.4463 * V <sub>adLtot_nf</sub> + 389
4 Star * * * *	≥0.4463 * V <sub>adj_tot_nf</sub> + 389	< 0.3570 * V <sub>adj_tot_nf</sub> + 311
5 Star * * * *	≥ 0.3570 * V <sub>ad_tot_nf</sub> + 311	

Table 2.2: Star level valid from 01.01.2012 to 31.12.2013

Star rating band	Minimum CEC	Maximum CEC
1 Star *	· ≥ 0.6973 * V <sub>adj_tot_rsf</sub> + 607	< 0.5578 * V <sub>ad_tot_nf</sub> +486
2 Star * *	≥ 0.5578 * V <sub>adi_tot_nf</sub> +486	< 0.4463 * Vadi_tot_nr +389
3 Star * * *	≥0.4463 * V <sub>ad_tot_nf</sub> +389	< 0.3570 * Vadi_tot_nf+311
4 Star * * * *	≥ 0.3570 * V <sub>adi_tot_nr</sub> +311	< 0.2856 * V <sub>adi_tot_rrf</sub> +249
5 Star * * * * *	≥ 0.2856 * V <sub>ad_tot_nf</sub> +249	

Table 2.3: Star level valid from 01.01.2014 to 31.12.2015

Star rating band	Minimum CEC	Navious acc
1 Star *	≥0.4463 * V <sub>ad_tot_nf</sub> +389	Maximum CEC < 0.3570 * V <sub>adl_tot_nr</sub> +311
2 Star * *	≥ 0.3570 * V <sub>adi_tot_nf</sub> +311	< 0.2856 * Vad tot of +249
3 Star * * *	≥ 0.2856 * V <sub>adi_tot_nf</sub> +249	< 0.2285 * V <sub>adi_tot_nf</sub> +199
4 Star * * * *	≥ 0.2285 * V <sub>ad_tot_nf</sub> +199	< 0.1828 * V <sub>ad_tot_nf</sub> +159
5 Star * * * *	≥ 0.1828 * V <sub>ad_tot_nf</sub> +159*	

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

Foot Note:— The principal notification was published vide number S.O. 183(E), dated the 12th January, 2009.

			`



**EXTRAORDINARY** 

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई ९, २०१३/वैशाख १९, १९३५

No. 129]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2013/VAISAKHA 19, 1935

#### ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई , 2013

सं. 2/11(5)/03-बीईई. 4.-ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2012 का प्रारूप तारीख 9 अक्तूबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में संख्या 2/11(5)/03-बीईई-4, तारीख 8 अक्तूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों के जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

और, उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र की प्रतियां 9 अक्तूबर, 2012 को उपर्युक्त राजपत्र में प्रकाशित की गई थी;

और, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनसाधारण से कतिपय आपित्तयां या सुझाव प्राप्त हुए;

और प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर लिया गया;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित धारा 14 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2013 है।
  - ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,--
- (i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-'(खक) ''लेबल अवधि'' से धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए तुलनात्मक ऊर्जा का उपभोग करने की विधिमान्यता अविध अभिप्रेत है और यदि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक की तुलनात्मक ऊर्जा का उपभोग करने की अन्तिम अवधि विनिर्दिष्ट है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नया तुलनात्मक ऊर्जा का उपभोग करने के लिए ऊर्जा मुल्य निरूपण विनिर्दिष्ट होने तक इसे विधिमान्य समझा जाएगा;

1887 GI/2013

(ii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—
'(च) ''स्टार रेटिंग या स्टार स्तर'' से घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक की ऊर्जा दक्षता को बताने के लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा उपभोग के मानक पर आधारित तुलनात्मक ऊर्जा उपभोग के आधार पर घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत हैं;

'(छ) ''व्यापारी या विकेता'' से किसी लेबल युक्त घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के संबंध में, वह व्यक्ति जो ऐसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक को बेचता है या वितरित करता है और इसमें विनिर्माता, व्यापारी और अनुज्ञापत्रधारी, जिसे ऐसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक

पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई है, अभिप्रेत है।'।

3. मूल विनियम में, विनियम 3 के उप विनियम (1) में, खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(ix) लेबल अवधि।"।

4. मूल विनियम में, विनियम 4 के विद्यमान विनियम 4 को उप विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
"(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानक के प्रारंभ को और प्रारंभ से प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि —

(क) बाजार में उपलब्ध स्टार स्तर संप्रदर्शित करने वाले लेबल सहित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशाीतक के स्टाक को प्रारंभ की तारीख से पहले बाजार से पूर्ण रूप में निष्कासित किया गया या पुनः लेबल युक्त किया गया या वापस ले लिया

含.

(ख) बिक्री के लिए रखे गये घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर भी लेबल अवधि संप्रदर्शित करनी होगी, बशर्ते कि अनुज्ञापत्रधारी को ऐसे प्रारंभ से तीन मास पूर्व बाजार में घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक लाने की स्वतंत्रता होगी।

(ग) सभी प्रारंभिक उपायों, जिनमें डीलर, खुदरा व्यापारी की जागरूकता, उनके और उपभोक्ताओं के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रचार शामिल हैं, को सुनियोजित करना चाहिए और इस विनियम के अधीन प्रारंभ की उस तारीख से छह मास पहले करना चाहिए।

(3) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उसके नियंत्रण से परे बाजार परिस्थितियों के कारण, उप विनियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में असफल होता है और यह मानने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त आधार है कि उप विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के बीच के आधार पर उपभोक्ता सुविचारित चयन करने में किठनाई अनुभव करता है, तो अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरों की पूर्व अनुमोदन के साथ, उप—विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के बीच अन्तर करने के लिए अनुसूची में दर्शाए गए अभिकल्पन के अनुसार हरे रंग के लेबल पर विनियम 3 के उप विनियम (1) के खंड (vii) में निर्दिष्ट विद्युत उपभोग प्रतिवर्ष यूनिट में संप्रदर्शित करेगा।"

मूल विनियम के विनियग 7 में,

- (i) तप विनियम (3) के स्थान पर. निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात:— " (3) उप विनियम(1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि के लिए विधिमान्य होगी जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर प्रवृत्त है।";
- (ii) उप विनियम (5) के पश्चात् निम्निलखित उप विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः—
  "(6) ऐसे अनुज्ञापत्रधारी, जो उस तारीख से जिससे पुनरीक्षित स्टार स्तर प्रवृत्त हुए हैं, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के विद्यमान
  मॉडल पर लेबल चिपकाना जारी रखने के लिए अनुज्ञा की याचना करता है, उसे प्ररूप IV में केवल एक घोषणा करनी होगी।
  (7) अनुज्ञापत्र धारी पुनः लेबल चिपकाने की अनुमित लेगा, यदि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के एक नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार
  स्तर के समनुरूप उतारने की योजना बनाई है, तो ऐसी अनुमित के लिए पुनरीक्षित स्टार स्तरके प्रवृत्त होने से छह मास पहले
  आवेदन करना होगा।"।

6. मूल विनियमों के, विनियम 8 में खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(चक) अनुज्ञापत्रधारी को प्राधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा व्यापारियों, विक्रेताओं, जिन्हें उनके लेबल युक्त उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त किया गया है, की अद्यतित सूची को अपनी वैबसाइट पर संप्रदर्शित करना होगा और प्रत्येक वर्ष, 1 अप्रैल को इसे

ब्यूरो और राज्य अभिहित अभिकरणों को प्रस्तुत करना होगा।"

ू मूल विनियम के, विनियम 11 में, उप विनियम (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखे जाएंगे,—

"(4) जहां द्वितीय परीक्षण असफल होता है, वहां ब्यूरो,-

- (क) अनुज्ञापत्रधारी को प्ररूप V में यह निदेश देगा कि सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए अनुज्ञापत्रधारी दो मास की अवधि के भीतर,—
- (i) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के स्तर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को सही करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई नुक्सों और किमयों को दूर करेगा;
  - (ii) ब्यूरों के निदेशानुसार बाजार से सारे स्टाक को हटाएगा; और
  - (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलेगा।

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य रीति से, जैसा

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए संबद्ध राज्य अभिहित अभिकरणों को संसूचित करेगा;

(5) अनुज्ञापत्रधारी, उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट दो मास की अविध की समाप्ति के दस दिन के भीतर-

(क) निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की बाबत ब्यूरों को प्ररूप IV में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है,या किसी दिशा निर्देश के अनुपालन के बिना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होती है, तो इसे ब्यूरों द्वारा पारित इस आशय के आदेशों और जारी किए गए निदेशों का

(6) ब्यूरो, खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उप विनियम (5) के खंड (ख) में पारित आदेशों की एक प्रति धारा 17 और उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन पारित आदेश के प्रवर्तन कार्रवाई के प्रयोजन के लिए सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को भेजेगा।

(7) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उप विनियम(4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां

(क) विनियम 7 के उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त अनुज्ञा को वापस ले लेगा;

(ख) धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक का अनुरूप, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए खंड (क) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करने में यदि अनुज्ञापत्रधारी असफल रहता है तो इसके समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ साथ इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा;

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगों और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य तरीके से, जैसा उचित समझा जाए, प्रकाशित करेगा;

(घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां और शुरू करने के लिए

मूल विनियम के, प्ररूप II में, विद्यमान पैराग्राफ 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:--

"5. जहां स्टार स्तर की योजना की पुनर्विलोकन करने पर ब्यूरो द्वारा उपांतरित की जाती है, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का स्टार स्तर निम्नानुसार उपांतरित किया जाएगाः

(क) यदि नया मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुरूप शुरू किया जाता है, तो नए स्टार स्तर के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास पूर्व ब्यूरो को ऐसी अनुमति के लिए एक आवेदन देना होगा;

(ख) जहां विद्यमान मॉडल को ही उपांतिरत स्टार स्तर के रूप में जारी रखा जाता है, वहा प्ररूप IV में, केवल एक घोषणा ध्यूरी

मूल विनियम में, प्ररूप III के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--''प्ररूप IV

घोषणा

[विनियम ७(६) देखिए]

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत करना होगा) (निगमित निकाय/लेबल के उपयोगकर्ता के पत्र शीर्ष पर)

तारीख:

भेवा में **ाहानिदेशक** म्र्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालयं, भारत सरकार) गैथा तल, सेवा भवन, विटर 1, आर के पुरम, ई दिल्ली- 110066 रित

> विषय : तारीख......से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के प्रमावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार लेबल

मैं / हम घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के विनिर्माता हूं / हैं जो [कम्पनी का नाम और पूरा पता] स्टाइल के अधीन [व्यष्टि या र्न का पूरा नाम] कारोबार कर रहा है / रहे हैं, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं, जैसा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, २००९ में विनिर्दिष्ट हैं, जिनमें .....से प्रभावी स्टार स्तर में पुनरीक्षण किया जाएगा।

- विनिर्माणकारी स्विधाः उक्त उपकरण [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातिल किया गया है और फिंक्टरी का नाम और पता]में [फेंक्टरी/आयातक का नाम और पता] में विनिर्मित किया गया है या से आयात किया गया है।
- नए स्टार स्तर से अनुरूपता: मैं / हम सारणी में परिवर्तन सारणी स्टार स्तर के पुनरीक्षण की पृष्टि करता हूं / करते हैं. जैसा कि अधिसूचना सं. का.आ.183(अ) तारीख 12 जनवरी, 2012 में घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए विनिर्दिष्ट है। उक्त उपकरण (जो पहले अनुमोदित था) के संबंध में बीईई लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमोदन की एक प्रति संलग्न हैं।
- 4. घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के संबंध में बीईई लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन में पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।

रटार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार उपकरण / मॉडल के ब्यौरे: मॉडल का नाम ......

विशिष्टियां	मूल्य निरूपण	
सकल मात्रा	mara.	
भण्डारण मात्रा		
तुलनात्मक विद्युत उपभोग	****	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्तर के अनुसार)	(स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार)

- मैं / हम स्टार लेबल प्ररूप को विद्यमान स्टार लेबल स्तर से पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर में हस्तलिखित आवेदन और ऑनलाइन वैब पोर्टल में परिवर्तन करने के लिए सहमत हूं / हैं।
- मैने उक्त घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए तारीख तक के तिमाही उत्पादन के आंकड़े और लेबलिंग शुल्क प्रस्तृत कर दिया है।
- मैं / हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और निबंधनों को मानने के लिए सहमत हूं / हैं और यदि ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जाती है तो ब्यूरों को आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हूं/हैं।
- मैं / हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं / करते हैं और इस संबंध में ब्यूरों के निदेशों को मानने के लिए सहमत हूं / हैं।
- मैं / हम वचन देता हूं / देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को रदद कर दिया जाए।

a

ारीख	•
	दिन(वर्ष)
	हस्ताक्षर
	नाम
	पद नाम
	कृते और की ओर से
	(फर्म का नाम)
	फर्म की मोहर
	प्ररूप V
	[विनियम 11(4) देखिए]
	द्वितीय जांच पड़ताल में असफल होने पर अनुज्ञापत्र धारी को निदेश
	नई दिल्ली तारीख 201
ावा में	गइ पिल्ला सराख 201
C	
जा दक्षता ब्यरा. (घरल	्रफास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम

7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको बीईई पत्र सं. ..... तारीख के अनुसार घरेलू फ्रास्ट फ्री

प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने की अनुमति, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के अध्यधीन दी गई थी।

į	्रापः, जतावारण
, and a second	2. ब्यूरो कर्णा दशना करे ()
September 1	2009 के विकित्य रं ने व्याप प्राप्ट की प्रशीतक के लेक्से क
8XX828	2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2009 के विनियम 11 के अधीन जो घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक संख्या के सत्यापन और परीक्षण से संबंधित हैं और आपके को क्रय किया गया था और पूर्वोक्त खरीदे गए घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर आपके द्वारा विप्रकार गया कर संप्रदर्शित विशिष्टियां के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियां के प्रशीतकों पर आपके द्वारा विप्रकार गया कर कि विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियां के प्रशीतकों पर आपके द्वारा विश्वकार गया कर कि विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियां के प्रशीतकों पर आपके द्वारा विश्वकार गया कर कि विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विश्वकार के स्वरंप कि प्रशीतकों पर आपके द्वारा विश्वकार गया कर कि विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विश्वकार के स्वरंप कि प्रशीतकों पर आपके द्वारा विश्वकार गया कर कि विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विश्वकार के स्वरंप के प्रशीतकों पर आपके द्वारा विश्वकार गया कि विश्वकार गया कि कि विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विश्वकार के स्वरंप के स्वरंप के स्वरंप कि कि विश्वकार गया कि विश्वकार गया कि विश्वकार के स्वरंप के कि कि विश्वकार के स्वरंप क
2000	अभ्यक्त विरिष्ठ, डिलिर, खुदरा व्यापारी से
2000	के किया गया था और पूर्वीक्त ख़ारी के मान पर बीजक संख्या
8	(a) (a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d
	44181100 A TE 2000 TO TO THE TOTAL OF THE TOTAL AS A STATE OF THE TOTAL OF THE TOTA
	1000/0 31 12/1/2/3 31/1/3 31/1/2/3 31/1/2/3 31/1/2/3 31/1/2/3 31/1/2/3 31/1/2/3
	पैराग्राफ 4 के अधीन एक नमूना, ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मेसर्स
	3 हार्य अपने नर्
	183(27) जपन पूर्वाक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से के
	3. ब्यूरो अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मेसर्स
	पराजा. संख्या 183(अ) के पैराग्राफ 3 और 4 में नाम कि अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए तारीका 40
	N/40100 15 01464 S000 25
	4 That were a first the second of the second
36662	원선어 (Files 12) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	को पूरा करने में असफल था और आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित घरेलू फास्ट फी प्रशीतक पर लेबल विपकाने के लिए अनुज्ञा है। परीक्षण परिणाम आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप I में आपके द्वारा दिए गए जान को लिए अनुज्ञा
	41144 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
86	El Holent ment de la
	भागको को पार भाग अपिक बीईई के पत्र संख्या
	मार्गिक रे
	अगस्थत होने और साक्ष्य के लिए भी आपसे अनुभेद किया - में नमूनों की दितीय जंदे राज्य के नाम में
35	
₹	द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना हमारे प्राधिकृत अभिकरण मेसर्स के द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण में ।।।रीख 12 जनवरी, 2009 के पैराग्राफ 4 के अनुसार लिया गया और हमारे प्राधिकृत अभिकरण द्वारा मेसर्स का.आ संख्या 183 ।। ।म्यक् रूप से मुहर बंद करके एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला तक लाया गया और
7	म्यक् रूप से प्राधिकत प्रतिनिक्ति और उन्हें प्रत्यायित प्रयोगशाला तक लाया गया और
ਪ	हियान क्रम सरकार है गई। अल्लाबर्ग के हस्ताबर्ग के अल्लाबर्ग के अल्लाबर्ग के
· D	17 17 15 UK 17 17 UK 17
. 34 (	OBANINA tara A TOTAL MISOD COLUMN AND THE AREA
स	क्षी के क्या में नार्य परिणाम दितीय परीक्षण संकाणन किये में किए गए जांच किए गए जांच किए गए जांच किए गए जांच किए
ि	्रिस्ताक्षित किए गए परीक्षण परिणाम द्वितीय परीक्षण सत्यापन रिपोर्ट में विहित हैं। परीक्षण रिपोर्ट द्वितीय जांच किए गए और किष्म में हमारे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से विहित हैं। परीक्षण रिपोर्ट द्वितीय जांच परीक्षण के एक निर्मित आयातित और बाजार में बेचे गए घरेलू फास्ट फी प्रशीतक का.आ. संख्या 183 (अ) तारीख 13 निर्मित करते हैं कि
44 337	निर्मित आयातित और बाजार में बेचे गए घरेलू फास्ट फी प्रशीतक का.आ. संख्या 183 (अ) तारीख 13 जांच परीक्षण के एक अपेक्षित पेरामीटरों तथा मानकों और उन एवं निरामक का.आ. संख्या 183 (अ) तारीख 13 जांच परीक्षण करते हैं कि
41	अपाक्षत परामीटरों तथा मानकों और उस एक किएत का अर्थातक का आ संख्या 183 (अ) तारीख 10 करती है कि

विनिर्मित् आयातित और बाजार में बेचे गए घरेलू फास्ट फी प्रशीतक का.आ. संख्या 183 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में दिए गए अपेक्षित पैरामीटरों तथा मानकों और उन पर चिपकाए गए लेबल पर संप्रदर्शन के लिए विशिष्टियां आपको दी गई अनुज्ञा की अतः, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फास्ट फी प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप विनियम (4) के खंड (क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूरो निदेश करता है कि—

(i) घरेलू फास्ट फी प्रशीतक के स्तर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को सही करें या परीक्षण के दौरान पाए गए नुक्स और किमयों

(ii) ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टाक को हटाएं; और

iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलें।

आपको निदेशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर उपर्युक्त सुधार संबंधी गर्रवाई पूरी की जाए और दो मास के अवसान के पश्चात् 10 दिन के भीतर, अर्थात्-201-तक प्ररूप V में अनुपालन रिपोर्ट जें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फी प्रशीतक के बलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप विनियम (5) के खंड (ख) के रूप में

ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फास्ट फी प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के नियम 11 के विनियम (4), (5), (6) और (7) के निबंधनों के अनुसार इस मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

> सचिव. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

ग्निक :

असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट विनिर्माता के साथ पत्राचार

87 41/13-2

#### प्ररूप VI की गई कार्रवाई की रिपोर्ट [विनियम 11 (4) देखिए]

[विनियम 11 (4) देखिए]
(कम्पनी के पत्र शीर्ष में प्रस्तुत किया जाए)
कर्जा दुशना कारो (घरेल फास्ट फी प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009, के
विनियम र के त्याबंधनों के अनुसरण में हम मेसरी घरेल फास्ट फी प्रशतिका के विनिमति, की मीडल संख्या
के लिए बीडेर्ड पत्र संख्या तारीख क क स्टार स्तर क ऊजा उपमान
मानक के समनुरूप घरेलू फ़ास्ट फी प्रशीतक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई थी।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फास्ट फी प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009, के
तिनियम ११ के उप विनियम (४) के उपबंधों के अनसरण में बीईई पत्र संख्या ताराख वाराख
हमें निदेश दिए गए थे कि हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई कर ली गई है।

	निदेशित कार्रवाई	अवस्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए घरेलू फास्ट फी प्रशीतक लेबल पर सही स्टार स्तर संप्रदर्शित किया जाए		स्टार सेस्टार तक स्टार तक स्टार स्तर ठीक कर दिया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाजार से पूरा स्टाक हटाया जाए और		ब्यूरों के निदेशों के अनुपालन में बाजार से पूरा स्टाक हटा लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदला जाए	हां / नहीं / लागू नहीं होता	हां / नहीं / लागू नहीं होता

उपर्युक्त घोषणा मेरी / हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।


हस्ताक्षर नाम पद नाम कृते और के लिए कम्पनी / फर्म आदि का नाम फर्म की सील्।"।

10. मूल विनियम के विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्-


#### अनुसूची [विनियम ३(२) देखिए]

घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियों के ब्यौरे

- (1) लेंबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेंबल की अंतर्वस्तु में यह सम्मिलित होगा।
- (i) लेबल के निम्नलिखित आयामी अभिकल्पन, अर्थात्-



# (ii) लेबल के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात्-



## टिप्पण : विद्युत उपमोग संप्रदर्शन (हरा) की पृष्ठमूमि में रंग टोन वहीं होगा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरों के लोगों के लिए अपनाया गया है।

(iii) ब्यूरो के लोगो के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम अर्थात्-नीला-

रंगत (H) -239° संतृप्ति (S) : 64% द्युति (B): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 28, रंग संबंधी घटक -a:24b:54

लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151

सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1%

वेब रंग कोड -#363797

हरा

रंगत (H): 150° संतृप्ति (S): 10% द्युति (B) 67% `


ज्योतिर्भयता या हल्कापन (L) : 61, रंग संबंधी घटक -a:53b:32

लाल (R): 0 हरा (G): 170 नीला (B): 87

सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब रंग कोड - #00AA56;

(iv) निम्नलिखित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए मुद्रित लेबल का संपूर्ण नमूना, अर्थात्:--



(2) सामग्री और आकार लेबल टिकाऊ गत्ते का होना चाहिए, यदि इसे खिंग टैंग के रूप में संलग्न किया जाना है या खतः चिपकने वाला हो, और लेबल के लिए विमीय डिजाइन स्कीम में दिखाई गई रूपरेखा पर काटना होगा"।

ज्योति अरोरा, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन III/4/असाधा./187—जी/13]

पाद टिप्पण : मूल विनियम, अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 राजपत्र में भाग III, खंड 4 में संख्या 2/11(5)/03—बीईई—4. तारीख 6 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसमें संख्या 2/11(5)/03—बीईई—4. तारीख 5 जनवरी, 2010 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

1887 GI/13-3

# THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, 8th May, 2013

No. 2/11(5)/03-BEE-4.-Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations, 2012, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-4 dated the 8th October, 2012 in Part III, section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th October, 2012, as required under sub-section (1) of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of publication in the Official Gazette;

And, whereas, Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9th October, 2012;

And, whereas, certain objections or suggestion has been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 14 read with clause (i) of subsection (2) of Section 58 of the said Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations, 2013.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-
  - (i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
- '(ba) "label period" means the validity period of the comparative energy consumption for household frost free refrigerator specified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the comparative energy consumption for household frost free refrigerator is not specified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are specified by the Central Government;":
  - (ii) for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:-
- '(f) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the household frost free refrigerator on the basis of comparative energy consumption based on the energy consumption standard notified under clause (a) of section 14 to denote the energy efficiency of the household frost free refrigerator;';
  - '(g) "trader or seller" in relation to any labelled household frost free refrigerator means, a person who sells or distributes any such household frost free refrigerator and includes the manufacturer, trader, and permittee given permission to affix label on such household frost free refrigerator.'

- 3. In the principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (1), after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:—
  - "(ix) label period.".
- 4. In the principal regulations, in regulation 4, the existing regulation 4 shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely:—
  - "(2) On and from the commencement of revised energy consumption standards under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee shall ensure that-
    - (a) the stock of household frost free refrigerators with label displaying the star level available in the market is fully exhausted or relabelled or withdrawn from the market before the date of commencement;
    - (b) the household frost free refrigerator put on sale shall also display label period provided that the permittee shall be at liberty to introduce the household frost free refrigerator in the market three months prior to such commencement.
    - (c) all the preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of commencement under this regulation.
- (3) Where the permittee fails to ensure compliance of the provisions specified in clause (a) of sub-regulation (2), on account of market conditions beyond his control, and there are reasonable grounds to believe that the consumer would find it difficult to make a considered choice on the basis of comparative energy consumption between the household frost free refrigerator referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2), the permittee with the previous approval of the Bureau shall display electricity consumption in units per year, referred to in clause (vii) of sub-regulation (1) of regulation 3 on the label in green colour as per design shown in the Schedule to make a distinction between the Household Frost Free Refrigerator referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2).".
- 5. In the principal regulations, in regulation 7-,
- (i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- "(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for the duration for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.";
- (ii) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:
  - "(6) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the household frost free refrigerators from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in form IV.
  - (7) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the household frost free refrigerators is planned to be launched synchronising with the revised star level and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level."

- 6. In the principal regulations, in regulation 8after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—
  "(fa) the permitee shall display on its web-site an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, seller appointed to sell their labelled products and furnish the same to the Bureau as well as to the State Designate Agencies as on 1st April of each year,".
- 7. In the principal regulations, in regulation 11, for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall b substituted, namely:—
- "(4) Where the second test fails, the Bureau shall,-
  - (a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months shall,-
    - (i) correct the star level displayed on the label of the household frost free refrigerators or remove the defects and deficiencies found during the testing;
    - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
    - (iii) change the particulars displayed on advertising material.
- (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
- (c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (5) The permittee within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (4) shall,-
  - (a) Send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
  - (b) in case compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
- (6) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (5) to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under the aforesaid clause (b).
- (7) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-
  - (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
  - (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption—standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14, the orders issued by the Bureau under clause (a) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 by the Central Government;
  - (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner it deems fit within two months;

- (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- 8. In the principal regulations, in Form II, for the existing paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:—
- "5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau, the star level of the household frost free refrigerators shall stand modified as follows:
- (a) if new model is launched synchronising with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
- (b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.".
- 9. In the principal regulations, after Form III, the following Forms shall be inserted, namely:--

#### "Form IV DECLARATION [Refer Regulation 7(6)]

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / User of Label)

Date:

To
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066,
INDIA.

Sub: Application for permission to affix Label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 on revision of star level effective from ........

1887 GI/13-4

- 2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL (FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRE OF FACTORY/Importer).
- 3. Conformance to New Star Level. I/We confirm to the revision of star level as specified in the notification number S. 183 (E) dated the 12th January, 2009 for Household Frost Free Refrigerators. A copy of the BI License/certificate/approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
- 4. A copy of the BEE Label (as per revision of star level change) in respect of the Household Frost Free Refrigerators enclosed.
- 5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

İ	Model Name -	
Particulars	Val	ues
Gross Volume	•	
Storage Volume		
Comparative Electricity Consumption		
Star Rating	(As per existing label level)	(As per revision in star level)

- 6. I/We agree to change my star label from Existing STAR LABEL LEVEL to Revised STAR LABEL LEVEL i manual application as well as in the online web portal.
- 7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Household Frost Fre Refrigerators.
- 8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessar assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of	(Yea	ır
Signature	(	
Name		•
Designation	,	•
For and on behalf of	,	٠
,		
		•

(Name of the firm) SEAL OF FIRM To

#### FORM V

# [Refer Regulation 11(4)]

Direction to Permittee on failure of Second Test Checking

10	New Delhi, dated the
•	
Househol	Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of the provision of the terms and the provision of the provision of the terms and the provision of the terms are the provision of the terms and the provision of the terms are the provision of the terms and the provision of the terms are the provision of the terms
Household Invoice in dated the idisplayed Household number er signatures  M/s paragraphs  Form given	The Bureau under Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency ( Particulars and Manner of their Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 dealing with verification and Testing of the Frost Free Refrigerators numberpurchased from your authorised Distributor, dealer, retailer vide umber dated for a price of Rs
consumption Test details label on the BEE letter 1 witness th	The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The he Test Report indicated that the sampled Household Frost Free Refrigerators failed to meet the electricity on in units per year, standard, specified gross volume and storage volume etc. and did not conform to the furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix thousehold Frost Free Refrigerators manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide No datedin the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and the Second Check Verification Test of the samples at the NABL Accredited Laboratory
5.T number 183	The Sample for second check verification Test were picked up in accordance with paragraph 4 of S.O. dated the 12 <sup>th</sup> January, 2009 through our authorised Agency M/sand transported to the NABL

accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s...... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained from ....... under signatures of the duauthorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

- 6. The Test results are contained in Second Test Verification Report duly prepared checked and counter signed by the competent authorized personnel of the NABL Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by you authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisi parameters and standards given in S.O.number 183(E) dated, 12th January, 2009 and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Household Frost Free Refrigerator manufactured/imported and sold in the market.
- 7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (4) of Regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators Regulations, 2009, the Bureau hereby directs to:-
  - correct the star level displayed on the label of the Household Frost Free Refrigerators or remove the defects and deficiencies found during testing;
  - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
  - (iii) change the particulars displayed on advertising material.
- 8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issu of this letter and send the compliance report in Form V within 10 days after the expiry of two months i. by ........201... In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action terms of clause (b) of sub-regulation (5) of Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency. (Particulars and Mann of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009.
- 9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (4) (5) (6) and (7) regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Househo Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009.

Secretary, Bureau of Energy Efficiency

#### Enclosures:

- 1. Test reports of the failed model
- 2. Correspondence with the manufacturer

Dated.....

# Form VI Action Taken Report [Refer Regulation 11(5)]

(To be furnished on Company's letter head)

10	
THE SECRETARY,	
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY	
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF I	NDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,	•
SECTOR 1, R.K.PURAM,	
NEW DELHI-110 066	
INITALA	

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particular and Manner of their
Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 we M/sthe
nanufacturer of Household Frost Free Refrigerators were permitted to affix label on the Household Frost Free
Refrigerators conforming to the energy consumption standard ofstar level vide BEE letter
Nodatedfor the model number

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	correct the star level displayed on the label of the Household Frost Free Refrigerators to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected fromstar tostar
(ii)	withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
Name of the Co./Firm etc
Seal of the Firm/Co.".

10. In the principal regulations, for the existing Schedule the following Schedule shall be substituted, namely:--


1887 61/13-5

#### Schedule [See regulation 3(2)]


Details of particulars to be displayed on labels of household frost free refrigerators.

(1.) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include—

(i) the following dimensional design of label ,namely:—



#### (ii.) The following colour scheme for the label, namely:-



Note: The colour tone at the background of Electricity Consumption Display (Green) will be similar as followed for the Bureau of Energy Efficiency Logo.

(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely: —

#### BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

#### GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%

Luminance or lightness(L):61, chromatic components -a:-53 b:32


Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56:

(iv) the following complete specimen of a printed label for household frost free refrigerator, namely:—

1



#### (2). Material and shape

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label."

JYOTI ARORA, Director General, Bureau of Energy Efficiency [ ADVT-III/4/Exty/187-G/13]

Foot Note.-The principal regulations, namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 were notified in the official gazette in Part III, Section 4 vide number 2/11(5)/03-BEE-4, dated the 6<sup>th</sup> July, 2009 and last amended vide number 2/11(5)/03-BEE-4 dated, the 5<sup>th</sup> January, 2010.